चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0 / 3927
दिनांक : 23.08.2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव / निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषयः– कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अनुसार इसके दायरे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ के पत्र संख्या–1978 / सत्तर–3–2021 दिनांक 19 अगस्त, 2021 एवं सयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, कृते शिक्षा निदेशक, (उ0शि0), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या–डिग्री विकास / 134589 / 2021–22 दिनांक 19.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अनुसार इसके दायरे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ के पत्र संख्या–1978 / सत्तर–3–2021 दिनांक 19 अगस्त, 2021 एवं सयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, कृते शिक्षा निदेशक, (उ0शि0), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या–डिग्री विकास / 134589 / 2021–22 दिनांक 19.08.2021 के आलोक तथा मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने–अपने महाविद्यालय / संस्थानों में शासन के पत्र के आलोक में उक्त से सम्बन्धित समिति का गठन करते हुये गठित समित की सूचना क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति–कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,मेरठ।
04. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।
05. प्रभारी, वेबसाइट

कुलसचिव

1766 9/8/2021

<u>मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रकरण/अति महत्वपूर्ण</u>
<u>संख्या– 1978/सत्तर–3–2021</u>

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ0प्र0 शासन।

<u>उच्च शिक्षा अनुभाग–3</u> लखनऊः दिनॉकः 19 अगस्त, 2021

विषयः– कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अनुसार इसके दायरे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–967/सत्तर/3–2021, दिनाक 21.06.2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग , नई दिल्ली के आदेशानुपालन में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अनुसार समस्त शिक्षण संस्थानों में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं, किन्तु खेदजनक है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की कोई भी सूचना अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अस्तु अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता देखते हुए संस्थानों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अनुसार अन्तरिम समिति के गठन की सूचना शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उच्च शिक्षा अनुभाग–3 की ई–मेल आई0डी0–hesection.3@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

<u>संख्या–1978 (1)सत्तर–3–2021 तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव , उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग
प्रयागराज।

सेवा में,

1— कुलसचिव
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2—समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3—समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: डिग्री विकास / 134589 / 2021—22 दिनांक : 19.08.2021

विषयः—कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम—2013 के अनुसार इसके दायरे में प्रत्येक **शिक्षण संस्थान में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन करने के संबंध में**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—1978 / सत्तर—3—2021 दिनांक 19 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम—2013 के अनुसार इसके दायरे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन करने के संबंध में है।

उक्त के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 19 अगस्त 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश / प्राचार्य राजकीय / अशासकीय महाविद्यालय अन्तरिम गठन की सूचना शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक दशा में 23.08.2021 तक संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी निदेशालय को दिनांक 24.08.2021 को उपलब्ध करायेंगें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

डॉ0 (हिरेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन सं0—डिग्री विकास / 134589—90 / उसी तिथि को

प्रतिलिपिः विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3 उत्तर प्रदेश, **शासन लखनऊ** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डॉ0 (हिरेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रकरण/अति महत्वपूर्ण
संख्या– 1978/सत्तर–3–2021

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ0प्र0 शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ: दिनाँक: 19 अगस्त, 2021

विषय:– **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अनुसार इसके दायरे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–967/सत्तर/3–2021, दिनाक 21.06.2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग , नई दिल्ली के आदेशानुपालन में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अनुसार समस्त शिक्षण संस्थानों में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं, किन्तु खेदजनक है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की कोई भी सूचना अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अस्तु अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता देखते हुए संस्थानों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अनुसार अन्तरिम समिति के गठन की सूचना शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उच्च शिक्षा अनुभाग–3 की ई–मेल आई0डी0–hesection.3@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या–1978 (1)सत्तर–3–2021 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव , उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Anseta Rai G.O. PC-1